म. प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड
26, किसान भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल

कमांक / नियमन / भुगतान / 369 / 1894. भोपाल, दिनांक 15 / 05 / 2019

प्रति,

1 संयुक्त / उप संचालक,
म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
आंचलिक कार्यालय..... (समस्त)

2 भारसाधक / संचिव
कृषि उपज मण्डी समिति
..... म0प्र0 (समस्त)

विषयः—किसानो द्वारा कृषि उपज के विक्रय पश्चात भुगतान के संबंध मे।

संदर्भः—कार्यालयीन पत्र कमांक / बी—6 / नियमन / भुगतान / 369 / 1414 दिनांक 23.9.17, कमांक 1479 दिनांक 11.10.17, कमांक 1620 दिनांक 20.11.17, कमांक / 1830 दिनांक 09.04.18 एवं पत्र कमांक 1639 दिनांक 03.04.2019

वर्तमान मे राज्य शासन द्वारा जय किसान समृद्धि योजना अन्तर्गत पंजीकृत किसानों से गेहूँ खरीदा जा रहा है। जिसके विस्तृत निर्देश, योजना की प्रति आपको पूर्व मे प्रेषित किये जा चुके है।

कृषि उपज मण्डियों मे उक्त योजनान्तर्गत पंजीकृत किसानों के साथ ही बडी संख्या में गैर पंजीकृत किसान भी अधिसूचित कृषि उपज का विक्रय कर रहे है, जिससे मण्डियों मे अधिक आवक एवं किसानों की संख्या बहुत अधिक रहने से, किसानों को भुगतान की सघन मॉनिटरिंग की आवश्यकता है।

इस संबंध मे सन्दर्भित पत्र कमांक 1639 दिनांक 03.04.2019 से मण्डी निकासी गेट पर व्यापारीवार खाता संधारण करने के निर्देश भी दिये गये है जिसमे किसान के नाम के साथ विक्रय संव्यवहार एवं भुगतान की प्रविष्टि की जाना है। उक्त निर्देशो के परिपालन के अनुक्रम में की जा रही कार्यवाही के साथ ही किसानों को भुगतान की सघन मॉनिटरिंग के लिये मण्डियों मे निम्नानुसार व्यवस्था सुनिश्चित की जाये :—

1/ मण्डी समिति मे क्रेता व्यापारियों द्वारा प्रतिदिन क्रय की गई कृषि उपज का विस्तृत विवरण उसी दिवस में या अधिक से अधिक अगले कार्य दिवस में निम्न प्रारूप मे प्राप्त किया जाये —

क्र	कृषि उपज क्रय दिनांक	किसान का नाम	भुगतान पत्रक कमांक	किसान को भुगतान योग्य राशि	नकद भुगतान की गई राशि	आरटीजीएस / एनईएफटी द्वारा भुगतान की गई राशि एवं दिनांक	बैंक का नाम एवं यूटीआर नम्बर	कुल भुगतान राशि	रिमार्क
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

जिस व्यापारी से उक्त प्रारूप मे विवरण प्राप्त नही हो रहा है उनसे संपर्क कर प्रारूप में विवरण प्राप्त किया जाये।

2/ व्यापारियो से उक्तानुसार जानकारी प्राप्त होने पर इसका मिलान, निकासी गेट पर रखे गये व्यापारीवार खाते से प्रतिदिन किया जाना सुनिश्चित करे।

3/ किसानो का भुगतान नियत अवधि मे नही होना परिलक्षित होने पर संबंधित व्यापारी के स्कंध का परिवहन/अनुज्ञा रोकने और किसान को भुगतान उपलब्ध कराने की कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करे। इस हेतु व्यापारी के प्रतिभूति, भंडारित स्कंध एवं अचल संपत्ति से किसानों को भुगतान उपलब्ध कराया जाये।

4/ उक्त के बाद भी किसान का भुगतान में विलम्ब होने पर संबंधित व्यापारी के विरूद्ध मण्डी अधिनियम अनुसार कय–विकय रोकने, लायसेंस निलम्बन, भुगतान की कार्यवाही हेतु आर.आर.सी जारी करना तथा व्यतिकमी व्यापारी के विरूद्ध एफआईआर दर्ज कराने आदि की कार्यवाही नियमानुसार करना सुनिश्चित करे।

5/ किसानों के भुगतान मे व्यतिकम के प्रकरण प्रकाश में आने पर मंडी अधिकारी/कर्मचारियों की दोषिता का निर्धारण कर कार्यवाही के प्रस्ताव मुख्यालय भेजें। ऐसे प्रतिवेदनो में व्यतिकम फर्म के संबंध मे निम्नानुसार जानकारी भी उपलब्ध कराये :–

अ– व्यापारी फर्म को लायसेंस कब दिया गया।

ब– पूर्व मे व्यापारी के पास किस–किस मण्डी का लायसेंस था अथवा नही।

स– व्यापारी द्वारा जमा की गई प्रतिभूति का विवरण।

द– व्यापारी द्वारा व्यतिकम किये जाने की खरीदी अवधि मे सचिव, प्रांगण प्रभारी, भुगतान प्रभारी, अनुज्ञा प्रभारी एवं अन्य संबंधित प्रभारी, कौन–कौन पदस्थ थे, नाम, अवधि एवं तिथि सहित जकारी।

6/ किसानों को भी उनके कृषि उपज का भुगतान प्रकिया (नगद एवं आरटीजीएस/एनईएफटी) के संबंध में उद्घोषणा एवं प्रचार–प्रसार से अवगत कराया जायें। किसानो को यह भी सूचित किया जाये कि मंडी मे चैक से भुगतान प्रतिबंधित है तथा RTGS/NEFT से भुगतान अधिकतम 3 से 5 दिवस मे उनके खाते मे प्राप्त होना चाहिये यदि कृषि उपज का भुगतान 5 दिन की समयावधि में प्राप्त नही होने पर मण्डी कार्यालय में तत्काल इसकी शिकायत किया जाये जिससे किसानो के भुगतान विलम्ब के प्रकरण निर्मित न हो।

(फैज़ अहमद किदवई)
प्रबंध संचालक सह–आयुक्त
म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

कमांक/नियमन/भुगतान/369/1895 भोपाल, दिनांक 15/05/2019

प्रतिलिपिः–

(1) अपर संचालक/संयुक्त संचालक/उप संचालक म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड, भोपाल।

(2) गार्ड फाईल।

प्रबंध संचालक सह–आयुक्त
म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल